<u>न्यायालय, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सी०बी०आई०, लखनऊ</u>

सीबीआई बनाम कुंवर गजराज सिंह व अन्य

वाद सं०-43/2011

आर०सी० – 10(S)/2010

थाना - सीबीआई/एसटीएफ/नई दिल्ली

<u>दिनांक: 01.12.2021</u>

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त मोहम्मद सलीम की मृत्यु दिनांक 17.04.2020 को हो गयी थी, इस सन्दर्भ में अभियुक्त के पुत्र मोहम्मद युनुस की ओर से न्यायलय को सूचना जरिये प्रार्थना पत्र दिनांकित 23.11.2020 प्राप्त करायी गयी। उक्त प्रार्थना पत्र पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त मोहम्मद सलीम की मृत्यु के सम्बन्ध में सी०बी०आई को नियत तिथि पर अपनी आख्या प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया गया था। मृत्यु प्रमाण पत्र/मृत्यु की सूचना के पुष्टिकरण के सम्बन्ध में सी०बी०आई० द्वारा दिनांक 03.02.2021 को लिखित रूप से सत्यापन दाखिल किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा विवेचक श्री पियूष वर्मा, उप निरीक्षक, सीबीआई/एस०टी०एफ/नई दिल्ली को कोर्ट साक्षी के रूप में तलब किया गया था तथा उनके अभियुक्त मोहम्मद सलीम की मृत्यु के सम्बन्ध में बयान न्यायालय में अंकित किये गए।

सी०बी०आई० की ओर से मृत्यु आख्या व बतौर साक्षी सी०डब्ल्यू-1 श्री पियूष वर्मा को प्रस्तुत किया गया, जिनको मोहम्मद सलीम की मृत्यु आख्या के लिए नियुक्त किया गया था, तथा उनकी मौखिक परीक्षा न्यायालय द्वारा अंकित की गयी। सी०डब्ल्यू-1 श्री पियूष वर्मा की ओर से लिखित सूचना पत्र दिनांकित

03.02.2021 दिया गया है जिसमें उन्होंने मोहम्मद सलीम की मृत्यु 17.04.2020 को हो जाने का पुष्टिकरण किया है जो पत्रावली पर संलग्न है। उनके द्वारा नगर निगम लखनऊ – ज़ोन 2 , उत्तर प्रदेश द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र, दाखिल किया गया, जो पत्रावली पर संलग्न है।

पत्रावली पर उपलब्ध कोर्ट साक्षी के बयान एवं उपलब्ध प्रपत्रों व अभिलेखों के उपरान्त यह स्पष्ट है कि मृतक मोहम्मद सलीम की मृत्यु दिनांक 17.04.2020 को हो चुकी है।

अतः ऐसी परिस्थितियों में फौजदारी वाद की कार्यवाही उनके विरुद्ध उपशमित किये जाने योग्य है। प्रकरण की कार्यवाही अभियुक्त मोहम्मद सलीम के विरुद्ध उपशमित की जाती है। पत्रावली साक्ष्य हेतु दिनांक 06-01-2022 को पेश हो।

(समृद्धि मिश्रा)
विशेष न्यायायिक मजिस्ट्रेट सी०बी०आई०
लखनऊ।